प्रेस विज्ञप्ति

20/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दस आरोपी व्यक्तियों नामतः नितेश कुमार, सागर यादव, संतोष कुमार, मैसर्स लेकोनिक्स बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कैसानोवस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कैसानोवस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कैसानोवस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 16.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने एक आयरिश नागरिक के साथ हुई साइबर धोखाधड़ी की जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक भारतीय नागरिक द्वारा साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से एक आयरिश नागरिक के साथ 950 यूरो की धोखाधड़ी की गई और बाद में "अपराध की आय" को भारत में स्थानांतरित कर दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों नामतः नितेश कुमार, सागर यादव, संतोष यादव ने अपने सहयोगियों के साथ कोलकाता और खड़गपुर में विभिन्न स्थानों पर मेसर्स लेकोनिक्स बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर स्थापित किए थे। खड़गपुर में कॉल सेंटर में तलाशी अभियान के दौरान, परिसर में आईपी टेलीफोन और हेडफ़ोन के साथ 70 कंप्यूटर सिस्टम स्थापित पाए गए। अपराध को अंजाम देने के लिए, आरोपियों ने फर्जी संस्थाएं बनाईं, भारत और विदेश में विभिन्न बैंक खातों की व्यवस्था की, विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदे और फर्जी कॉल सेंटर चलाने के लिए कॉलेज छोड़ने वाले और बेरोजगार युवाओं को शामिल किया। यह पता चला है कि कॉल सेंटर चलाने के लिए नियुक्त कर्मचारी पीड़ितों को कॉल करके उनसे संपर्क करते थे और एक बार पीड़ितों से जुड़ने के बाद वे पीड़ितों के मोबाइल फोन/डिजिटल उपकरणों तक रिमोट के माध्यम से पहुंच बनाते थे और धोखाधड़ी से पीड़ित के बैंक खाते से पीड़ितों से पैसे डेबिट करने के लिए जानकारी मांगते थे। बाद में अपराध की आय को खाता हस्तांतरण या मनी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत भेजा जाता था। पीओसी की तह तक जाने और धन शोधन के लिए उपयोग किए गए खातों के बैंक खाता विवरण प्राप्त किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। बैंक खाता विवरण के विश्लेषण के आधार पर, 44 पीड़ितों की पहचान की गई है जो आयरिश नागरिक हैं और यह भी देखा गया है कि अब तक आरोपियों को लगभग 7.30 करोड़ रुपए विदेशों से प्राप्त हुए हैं। अब तक अपराध की आय से लगभग 1.82 करोड़ रुपये नकद में जब्त किए गए हैं। लगभग 2.82 करोड़ रुपए की सीमा में नकली बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कर दिया गया है।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान 19.12.2023, 27.12.2023, 13.01.2024, 17.01.2024 और 05.02.2024 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत पटना, कोलकाता और खड़गपुर के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई जिसमें विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध लगभग 2.82 करोड़ रुपए फ्रिज करने के साथ साथ 1.88 करोड़ रुपए नकद, 56 डेबिट कार्ड, विभिन्न मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपैड सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए। आरोपी व्यक्ति नामतः नितेश कुमार, सागर यादव और संतोष कुमार को 20.12.2023 और 28.12.2023 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है